राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12684/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्याम लाल बी 150, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 2-11-16 के द्वारा एम.ए. (पूर्वार्द्ध) इतिहास सत्र 2000-2001 में कुल कितने नये छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया तथा इनमें से कितने 2001 में सम्पन्न परीक्षा में शामिल हुए, प्रत्येक का नाम तथा प्रवेश शुल्क तथा परीक्षा शुल्क की रसीदें, इसी प्रकार वर्ष 2001-2002, 1997-1998 में एम.ए. इतिहास (उत्तरार्द्ध) आदि के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 7-1-17 से संसूचित किया है कि सम्बन्धित रिकॉर्ड संधारित नहीं है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 8-11-16 से परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वश्विद्यालय, जयपुर को अंतरित किया जाकर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 19-4-17 से प्रथम अपील भी खारिज की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया कि चाही गई सूचना 20 से 22 वर्ष पुरानी है एवं विश्वविद्यालय केवल परीक्षा से सम्बन्धित टेबुलेशन रजिस्टर ही संधारित करता है। परीक्षार्थियों के नाम व पिता का नाम, अंक बताया जाना धारा 11 व 8(1) (जे) की श्रेणी में आता है। यह भी निवेदन किया कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार रिकॉर्ड

का नष्टीकरण कर दिया जाता है। न्यूनतम 1 वर्ष व अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना वृहद सूचना है एवं जिस रुप में चाही गई है उस रुप में विश्वविद्यालय के पास संधारित नहीं है तथा पुराने रिकॉर्ड का नष्टीकरण करने का प्रावधान भी विश्वविद्यालय के नियमों में हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उसी रुप में दी जा सकती है जिस रुप में प्रत्यर्थी के पास उपलब्ध है। चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के पास उपलब्ध नहीं है। पुरानी सूचना है, जिसके नष्टीकरण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा उल्लेख किया गया है।

8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी संसूचित है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त